

## ज्ञापन

क्षे प्र /उ क्षे प्र के सभी अधिकारियों को जलकृषि/गु नि/ईपी से संबन्धित गतिविधियों को बढ़ावा देने के संबंध में किए गए फील्ड दौरे की एक पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। रिपोर्ट में हमेशा फील्ड दौरे के लिए मुख्यालय का अनुमोदन, उद्देश्य, दौरा किए गए स्थान, निरीक्षण रिपोर्ट और निर्यात को बढ़ाने एवं सौंपे गए अन्य संस्थागत लक्ष्यों के संदर्भ में परिणाम शामिल होने चाहिए।

सभी अधिकारियों की समेकित रिपोर्ट संबंधित पखवाड़े के लिए महीने के पांचवें और बीसवें दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी तक पहुंचनी चाहिए।

(के एस श्रीनिवास)

अध्यक्ष

सभी क्षे प्र /उ क्षे प्र

प्रति - निदेशक/निदेशक(वि)/सं नि (गु नि )/सं नि (वि)/ईडीपी

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  
(वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)  
एम पी ई डी ए भवन, पनपिल्ली एवन्यू  
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची-682036, भारत

## The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)  
MPEDA House, Panampilly Avenue  
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India



केबिल : मराइन  
Cable : MARINE

फोन } 2311979, 2311803  
Phone } 2311854, 2313415  
2311901, 2314468  
2310160, 2315065

फाक्स } : 91-484-2313361  
Fax }

E-mail : [mpeda@mpeda.nic.in](mailto:mpeda@mpeda.nic.in)  
Website : <http://www.mpeda.com>

संदर्भ / Ref:

तारीख / Date:

ADMN-GEN/MTNG/1/2020

1/07/2020

### MEMORANDUM

All officials in RD/SRD's are instructed to submit a fortnightly report of the field visits undertaken in connection with the promotion of aquaculture/QC/EP related activities. The report should invariably include the HO approval for the field visit, purpose, place visited, inspection reports and outcome with reference to increasing export and other institutional goals assigned.

The consolidated report for all officials should reach the undersigned within fifth and twentieth day of the month for the respective fortnight.

  
(K S Srinivas)  
Chairman

All RDs & SRDs

Copy to – Director / Director (M) / JD (QC) / JD ( M) / EDP